

क्रमांक 3331/2007

पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, भागलपुर ।

दिनांक:- 15/11/07

सेवा में,

अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
उठी मंजिल, "बीकिंग" लोक नायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली - 110003

प्रसंग:- भवदीय का पत्र सं०- झारखण्ड-04/अत्याचार/07/आ0700-3 दिनांक
15.10.2007

विषय:- श्री मतो चूड़ामनी किसकू पति स्व० दुबई बेसरा ग्राम केदार आना
पथरगामा, जिलाझोड़ा झारखण्ड का प्राप्त परिवार पत्र का जंचि
के संबंध में ।

===x===

आधुनिक प्रसंग एवं विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि आपकी
श्री मतो चूड़ामनी किसकू पति स्व० दुबई बेसरा का प्राप्त परिवार पत्र का जंचि पुनः
उपाधीक्षक, नगर भागलपुर के द्वारा करायी गयी ।

पुलिस उपाधीक्षक, नगर भागलपुर के द्वारा उक्त परिवार पत्र का जंचि
कर अपने कार्यालय के द्वारा दिनांक- 15/11/07 के द्वारा समाप्त
किया गया है। समाप्त जंचि प्रतिवेदन को अवलोकनार्थ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अतः सूचनार्थ प्रेषित ।

अनुसूचक:- प्रभोपरि:

जंचि प्रो. गुंडा प्रो. प्रो.

पुलिस अधीक्षक
भागलपुर ।

प्रतिनिधि:- पुलिस उपाधीक्षक पूर्वोक्त क्षेत्र भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।

पुलिस अधीक्षक
भागलपुर ।

15/11/07

3004/2007
13/12/07
18/12/07

18/12/07
18/12/07

28

ज्ञापक 1513 / नगर,

पुलिस उपाधीक्षक, नगर का कार्यालय,
भागलपुर । दिनांक- 7-11-2007

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,
भागलपुर ।

- प्रस्ताव:- राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति अयोग का पत्र सं०-भारतण्ड 04/अन्याचार 07 आर० फू-3 दिनांक-15. 10. 07 एवं पुलिस अधीक्षक, भागलपुर महो० का डा०-3877/ई.ओ. दि०-31. 10. 07.
- विषय:- श्री मती चुड़ामती किरकू प्रति-स्व० दुर्बई बेसरा सा०-बेसरा, धाना-फरगामा, जिला-गोडडा, भारतण्ड का परिवार पत्र जांच के संबंध में ।

===

महोदय,

मेरे द्वारा प्रस्तावित पत्र का जांच पड़ताल अभिलेखों के अवलोकन तथा आवेदिका के बयान के आधार पर किया गया ।

जांच से पूर्व ही आवेदिका चुड़ामती किरकू मेरे कार्यालय का भी उपस्थित हुयी थी, तो वे अपने बयान में बताया थी कि ये अनपढ़ महिला हैं, इनका पुत्र पंकज कुमार बेसरा शिक्षा विभाग में जिला शिक्षा अधीक्षक, साहेबगंज में पदस्थापित था, जो कि 10. 6. 07 को भागलपुर अपने प्रेमिका कंचन कुमार से मिलने के लिए साहेबगंज गोट-रूपकम आ लता जाया था, जिसके साथ साहेबगंज के मोहल्ले के कुल व्यक्तियों के द्वारा कंचन कुमार से क्यों मिलने आते हो कहकर मारपीट एवं गाली-गलौज की गयी और आस्ती देकर झूठा कांड में पीसा दिया गया, जिसके चलते इनका पुत्र पंकज अभी विस्थापित हैं।

अभिलेखों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादिनी के पुत्र पंकज कुमार बेसरा के किरकू कोतवाली 8 वि० वि० विधाना कांड सं०-334/07, दिनांक-11. 6. 07 धारा 251-सी 8 ए/269/1118 अन्तर्गत वादी सिकन्दर प्रसाद यादव के लिखित आवेदन के आधार पर अविध आग्नेयास्त्र एवं गोली के साथ ली हथौथें पकड़े जाने के आरोप में अंकित कराया गया है।

इस कांड का पर्यवेक्षण पुलिस उपा० 8 पं० मानस, भागलपुर के द्वारा किया गया है, पर्यवेक्षण तथा अनुसंधान से यह कांड प्राथमिकी के मूल धाराओं के अंतर्गत प्रा० अग्नि० पंकज कुमार बेसरा के किरकू सत्य पाया गया है। पर्यवेक्षण के क्रम में यह सत्य सामने आयी है कि पंकज कुमार बेसरा अपने प्रेमिका कंचन कुमार से मिलने के लिए रात्रि में भागलपुर साहेबगंज माहल्ला आया था, तो कंचन कुमारी के पिता द्वारा डाँटे चूकर कर भगा दिया गया। 100 मीटर की दूरी पर प्रा० अग्नि० पंकज कुमार बेसरा विसतल के भाड़ में बैठ गये, सुबह 5.00 बजे जब रेखा देवी जगी और एक व्यक्ति को जमीन पर बैठो देखी, तो यह कहने पर कि क्या वहाँ बैठकर पैसाना कर रहे हो, इस पर वह पिस्तौल तान दिया, तो रेखा देवी द्वारा हल्ला करने पर आसपास के लोग एकत्रित हुये और अविध आग्नेयास्त्र के साथ पकड़ कर पुलिस को सुपुर्द कर दिये हैं, तदोपरान्त इसी किरकू प्राथमिकी दर्ज हुयी है, इनके किरकू पूर्व में भी को० 8 वि० वि० विधाना कांड सं० 212/04 दिनांक-25. 4. 04, धारा-457/380/511 भा० 8 वि० के अंतर्गत कांड दर्ज हुआ है, इस कांड में आरोप पत्र सं०-251/04, दिनांक-22. 5. 04 समर्पित किया गया है। इसको प्रकट प्रतिवेदन दो में भी की गयी है।

अनुसंधान पत्रवात् प्रा० अग्नि० पंकज बेसरा के किरकू प्राथमिकी के मूल धाराओं के अंतर्गत को० 8 वि० वि० विधाना कांड सं०-334/07 में आरोप पत्र सं०-623/07, दि०-31. 7. 07 समर्पित किया जा चुका है।

कोर्ट से जमानत पत्रवात् इस कांड आवेदिका के पुत्र पंकज कुमार बेसरा द्वारा कोतवाली 8 वि० वि० विधाना कांड सं०-334/07 के वादी एवं अन्य व्यक्तियों के

किरूद कोतवाली वि. विधाना कौड सं०-555/07, दिनांक-15. 9. 07, धारा-341/3
379/504/34 भा. क. वि. एव 38188ए88बी88288x/381881x8 एत. सं०/एत. सं०
एक के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करवाया गया है, जो कि अनुसंधान अंतर्गत है।

अतः श्रीमान् को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

अनु०- मूल आवेदन पत्र

Ali
11/11/07
पुलिस उपाधीक्षक, नगर, भागलपुर